विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण सी0बी0आई0, पश्चिम लखनऊ।

केस संख्या–34 / 2018

सी0बी0आई0 बनाम अमरजीत आदि

दिनांक 11.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त अमरजीत,रवि अग्रवाल, भूपेश दूबे, विजय कुमार एवं राम सिंगार प्रजापति की हाजिरी माफी आयी। आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त राधाकृष्ण उपस्थित। पूर्व आदेश दिनांक 09.12.2020 को अभियुक्तगणों को निर्देशित किया गया था मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की कार्यवाही अभी तक प्रभावी है अथवा नहीं। परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मिसलिनियस प्रार्थनापत्र संख्या 1577 / 2020 में क्रिमिलन अपील संख्या 1375–1376 / 2013 में अपने पूर्व आदेश Asian resurfacing of road agency pvt ltd vs CBI दिनांक 15.10.2020 को आदेश पारित करते हुए निम्न निर्देश दिया गया है।

We expect that the Magistrates all over the country will follow our order in letter and spirit. Whatever stay has been granted by any court including the High Court automatically expires within a period of six months, and unless extension is granted for good reason, as per our judgment, within the next six months, the trial Court is, on the expiry of the first period of six months, to set a date for the trial and go ahead with the same.

ऐसे में मामले में निर्देशित किये गये अभियुक्तगणों से यह अपेक्षा कि जाती है माननीय उच्च न्यायालय का आदेश वर्तमान में प्रभावी होने की स्थिति न्यायालय में अग्रिम तिथि 30.01.2021 को अवश्य स्पष्ट करे, अन्यथा उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। पत्रावली दिनांक 30.01.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण,
सी0बी0आई0 पश्चिम लखनऊ।